

मध्यदेश वृक्षों का पिररक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2002

मध्यदेश वृक्षों का पिररक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2002

बर्मांक 20 सन् 2002

(दिनांक 26 सितम्बर, 2001 को राज्यपाल की अनुमित प्राप्त हुई: अनुमित “मध्यदेश राजपऽ (असाधारण)” में दिनांक 27 सितम्बर, 2001 को १००० वार १००० शित की गई।)

मध्यदेश के नगरीय क्षेत्रों के वृक्षों के पिररक्षण तथा पुनः वृक्षारोपण के ूयोजन के िलए वृक्षों को काटकर िगराने के िविनयमन के िलए बेहतर उपबंध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में मध्यदेश िवधान-मंडल द्वारा िनमिलिखत रूप में यह अधिनियमित हो:

टिप्पणी

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन - नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ने से नगरीय भूमि पर दबाव बढ़ गया है िजसके पिरणाम:वरूप वृक्षारोपण के िलए ंथान की उत्तरोत्तर कमी हो रही है,

नगरीयकरण की इस गित के कारण नगरीय क्षेत्रों में ऊर्जा तथा अन्य भोगाधिकार के िलये भी िवद्यमान वृक्षों पर दबाव बन गया है, नगरीय क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन बनाये रखने के िलए वृक्ष महत्वपूर्ण भूमिका िनभाते हैं तथा वे नगरवासियों के कल्याण के िलए साममी भी जुटाते हैं। अतः यह ूःतावित है िक ूबिया िनयत करके वृक्षों के अनावयक िगराये जाने को रोका जाए।

2. िवधेयक की मुख्य बातें िनम्नानुसार हैं:

(क) नगरीय भूमि पर सभी ूकार के खड़े वृक्षों को िगराये जाने के िलए अनुज्ञा अभिप्राय की जाएगी।

(ख) वृक्षों के िगराने के िलए अनुज्ञा इस शर्त के साथ दी जाएगी िक वृक्षारोपण उसी के बराबर या अधिक संख्या में िक्या जाए।

3. अतः यह िवधेयक ूःतुत है।

1. म.१. शासन, वन िवभाग अधि. ब. एफ. 25-20-2004-दस.-3 िद. 8 अगःत 2005 से धारा ‘6’ ूित ंथापित।

1. संक्षिप्त नाम, िवःतार तथा ूारम्भ - (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम “मध्यदेश वृक्षों का पिररक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001” है।

(2) इसका िवःतार सम्पूर्ण मध्यदेश राज्यपर है।

(3) यह राजपऽ में ूकाशन की तारीख से समःत नगरीय क्षेत्र में ूवृत्त होगा।

2. पिरभाषाएं - इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) “अपील ूाधिकारी” से अभिूत है कोई ूाधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपील ूाधिकारी के रूप में िनयुक्त िक्या गया हो;

(ख) “वृक्ष” से अभिूत है कोई ऐसा काष्ठीय पौधा िजसकी शाखाएं तने या कायर् से िनकलती हैं तथा जो तने या काय पर आलंबित हों और िजसके तले या काय का व्यास भूमि तल पर 30 से.मी. से कम न हो तथा िजसकी ऊँचाई भूमि तल से 2 मीटर से कम न हो;

(ग) “वृक्ष काट कर िगराना” से इसकी सजातीय अभिव्यक्ति से अभिूत है, तने को जड़ों से पृथक् करना, ठूठ करना, उस पर िवषैला पदार्थ लागकर, उसे जला कर या िकसी अन्य रीति से उसे क्षित पहुंचाना;

(घ) “वृक्ष अधिकारी” से अभिूत है कोई ऐसा अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के ूयोजन के िलए, उस रूप में िनयुक्त िक्याया गया हो;

(ङ) “नगरीय क्षेत्र” से अभिूत है िकसी नगरपालिका िनगम/नगरपालिका/कैंटोमेंट बोर्ड या नगर पंचायत के भीतर के समःत ंथान;

(च) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इस अधिनियम के ूयोग में लाई गई हैं और भारतीय वन अधिनियम, 1927 में परिभाषित की गई है, किन्तु इस अधिनियम में परिभाषित नहीं की गई है, वे ही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में उनके लिये दिए गए हैं।

3. वृक्षों को काटकर गिराने बाबत निबन्धन - कोई भी व्यक्ति तत्समय वृक्ष किसी रुद्ध, रूखा, संविदा या स्थानीय विविध के होते हुए भी, उस नगरीय क्षेत्र के भीतर स्थित किसी भूमि में, चाहे वह उसके स्वामित्व में की हो, या उससे भिन्न प्रकार की हो, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बिना अनुज्ञा के किसी वृक्ष को काटकर नहीं गिराएगा या वृक्ष को कटवाकर नहीं गिराएगा।

4. वृक्ष अधिकारी की नियुक्ति - राज्य सरकार, प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के लिए एक या एक से अधिक ऐसे वन अधिकारियों को, जो राजपिस्त वन अधिकारी से निम्न श्रेणी के न हों, या आयुक्त नगर निगम या मुख्य नगरपालिका अधिकारी को इस अधिनियम के ूयोजन के लिए “वृक्ष अधिकारी” के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

5. अन्य अधिकारियों की नियुक्ति - राज्य सरकार, वन विभाग या स्थानीय ्राधिकारी के ऐसे अन्य अधिकारियों को, जिन्हें वह आवश्यक समझे, समय-समय पर नियुक्त कर सकेगी जो वृक्ष अधिकारी के अधीन रहेंगे।

6. वृक्ष को काटकर गिराने, काटने, हटाने या उसका व्ययन करने के लिए अनुज्ञा अभिप्राय करने की ूबिया - (1) किसी वृक्ष को काटकर गिराने या हटाने या उसका अन्यथा व्ययन की वांछा करने वाला कोई भी व्यक्ति संबंधित वृक्ष अधिकारी को, अनुज्ञा के लिए ऐसे ूारूप में तथा ऐसी विविधियां अन्तिवर्ण करते हुए तथा ऐसे दस्तावेज के साथ, जो कि विहित किए जाएं, आवेदन करेगा।

(2) ऐसे आवेदन ूाप्य होने पर, वृक्ष अधिकारी आवेदन की अभिवृत्ति देगा तथा आदेश द्वारा उस वृक्ष का निरीक्षण करने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, आवेदन की ूाप्यि की तारीख से तीस दिन के भीतर या तो ऐसी अनुज्ञा पूर्णतः या भागतः दे सकेगा या लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अनुज्ञा देने से इन्कार कर सकेगा:

परन्तु कोई भी अनुज्ञा, उस क्षेत्र से किसी व्यक्ति को, उसी दशा में इन्कार नहीं किया जाएगा जबकि वह, -

(एक) वृक्ष मृत हैं, रोगग्रस्त हैं या हवा से उखड़ा हुआ है; या

(दो) वृक्ष जीवन और सम्पत्ति के लिए खतरा बन जाता है; या

(तीन) वृक्ष अग्नि से, बिजली से, वर्षा से या अन्य ूाकृतिक कारणों से सारतः नुकसानग्रस्त;

(चार) यातायात के लिए बाधा बन जाता है या यदि ऊर्जा/दूरभाष की लाइनों आदि के अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं।

(3) उपधारा (2) के अधीन दी गई अनुज्ञा इस शर्त के अधीन हो सकेगी कि आवेदक उसी स्थल पर या पिरसरा पर, जैसा कि विहित किया जाए, उसी जाति या अन्य उपयुक्त जाति का कोई अन्य वृक्ष या वृक्षों को लगाएगा और जहां ऐसा संभव नहीं हो, वहां वह उस तारीख से, जिसको कि वृक्ष काटकर गिराया गया हो, तीस दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई कालाविधि के भीतर जैसा कि वृक्ष अधिकारी अनुज्ञात करे, ऐसा योगदान करेगा जैसा कि विहित किया जाए।

(4) यदि वृक्ष अधिकारी उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट कालाविधि के भीतर विनिश्चय की संसूचना देने में असफल रहता है तो आवेदित अनुज्ञा के सम्बन्ध में यह माना जाएगा कि वह दे दी गई है।

7. वृक्षों का परिरक्षण - आवेदक का यह कर्तव्य होगा कि वह धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन किए गए आदेश का अनुपालन करे और यह सुनिश्चित करे कि वृक्ष भली-भांति उगें और उसका भली-भांति परीक्षण किया जा रहा है।

8. धारा 6 के अधीन किए गए आदेश का विधान्वयन - (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 6 के अधीन किए गए किसी आदेश के अधीन वृक्ष लगाने के लिए बाध्यताधीन है, यथास्थित आदेश या निदेश की ूाप्यि की तारीख से तीस दिन के भीतर, ूारिम्भक कार्य (तैयारी) शुरू करेगा और ऐसे आदेश या निदेश के अनुसार आगामी या अनुगामी वर्षा ऋतु में या ऐसे बढ़ाए गए समय के भीतर, जैसा कि वृक्ष अधिकारी अनुज्ञात करे, वृक्ष लगाएगा तथा उन वृक्षों को जो किसी भूमि या क्षेत्र में लगाए गए हैं, किसी नुकसान से पर्याप्त एवं ूाभावी संरक्षण व्यवस्था करेगा।

(2) ऐसे व्यक्ति द्वारा व्यक्तिबम की दशा में, वृक्ष अधिकारी वृक्ष लगवा सकेगा और वृक्षारोपण की लागत की वसूली ऐसे व्यक्ति से भू-राज:व की बकाया के तौर पर कर सकेगा।

9. अपील - (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसे अधिकारी विनिर्दष्ट कर सकेगी जो इस अधिनियम के ंयोजनों के िलए अपील ंधिकारी होंगे।

(2) जब वृक्ष अधिकारी द्वारा धारा 6 या 7 के अधीन कोई विनिश्चय या कोई आदेश िक्या जाता है, तो वृक्ष अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित, कोई व्यक्ति, वृक्ष अधिकारी द्वारा ऐसे आदेश या िनर्देश के पारित िकए जाने से तीस िदिन कालाविध के भीतर अपील ंधिकारी को अपील कर सकेगा,

(3) अपील ंधिकारी, अपील ंप्राप्त होने की तारीख से साठ िदिन के भीतर अपील का विनिश्चय, अपलाथीर को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् करेगा।

10. संपत्ति का अभिमहण - जहां वृक्ष अधिकारी या िकसी वन अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है िक िकसी वृक्ष के संबंध में इस अधिनियम के अधीन अपराध िक्या गया है, तो वह यथािःथित वृक्ष या उसके भाग को, जो भूमि या तने से पृथक् िक्या गया है, िगराए जाने के िलए उपयोग में लाए गए औजार, तथा उपकरण सहित अभिमहण कर सकेगा। जब वन अधिकारी द्वारा अभिमहण िक्या जाता है तो वह वृक्ष अधिकारी को मामला आगे कारवाई के िलए अमेिषित करेगा।

11. धारा 10 के अधीन अभिगृहीत संपत्ति को िनमुक्त करने की शिक्त - वृक्ष अधिकारी धारा 10 के अधीन अभिगृहीत संपत्ति को िनमुक्त कर सकेगा, यदि भूमि ने, जब कभी अपेक्षित हो, ऐसे ंारूप में बंध पऽ, िनंपािदित कर िदया हो, जैसा िक ंतुत करने के िलए िविहत िक्या जाए।

12. इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी, औजार आदि कब अधिहरण के दाियत्वाधीन होंगे - (1) समःत इमारती लकड़ी या जलाऊ लकड़ी जो िक राज्य सरकार की संपत्ति नहीं है तथा िजसके िक संबंध में इस अधिनियम के अधीन अपराध िक्या गया है, और ऐसे अपराध को करने में उपयोग में लाए गए समःत पशु, औजार, नाव, यान, रःसे, चेन या कोई अन्य सामग्री धारा 9, 11 तथा 17 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, ऐसे अपराध के िलए अपराधी को िसद्धदोष ठहराए जाने पर, अधिहरण के दाियत्वाधीन होंगे। ऐसा अधिहरण ऐसे अपराध के िलए िविहत िकसी अन्य दण्ड के अतिरिक्त हो सकेगा।

(2) वृक्ष से उत्पािदित कोई इमारती लकड़ी, औजार तथा उपकरण आदि और उपधारा (1) के अधीन अधिंत कोई नाव, पशु या अन्य व्वहरण न्यायालय द्वारा ऐसी रीित में व्ययन िक्या जाएगा जैसा िक िविहत िक्या जाए।

13. संगठनों द्वारा अपराध - (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला कोई व्यक्ति संगठन है, वहां वह संगठन तथा उस अपराध के िलए जाने के समय उस संगठन के कारबार के जाएंगे और तदनुसार वह अपने िवरूद्ध कार्यवाही िकए जाने और दंिडित िकए जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उपधारा में अन्तिवर्ष कोई भी बात ऐसे व्यक्ति को िकसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह सािबत कर देता है िक अपराध उसकी जानकारी के िबना िक्या गया था या उसने ऐसे अपराध के िलए जाने को रोकने के िलए समःत सम्यक् तत्परता बरती है।

(2) उपधारा (1) में अन्तिवर्ष िकसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन अपराध िकसी संगठन द्वारा िक्या गया है और यह सािबत हो जाता है िक वह अपराध उस संगठन/यूिनट के ूमुख, सिचव, कोषाध्यक्ष, िनदेशक, ूबंधक या अन्य अधिकारी की सहमित या मौनानुकूलता से िक्या गया है या उस अपराध का िक्या जाना उसकी अपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां संगठन/यूिनट का ूमुख, सिचव, कोषाध्यक्ष, िनदेशक, ूबंधक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार वह अपने िवरूद्ध कार्यवाही िकए जाने और दंिडित िकए जाने का भागी होगा।

14. अपराध के िलए जाने को रोकने की शिक्त - ूर्येक वृक्ष अधिकारी या उस अधीनःथ या कोई वन, राजःव या पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन िकसी अपराध को िकए जाने से रोकेगा तथा अपराध के िकए जाने से रोकने के ूयोजन के िलए हःतक्षेप कर सकेगा।

15. अपराध शमन करने की शिक्त - (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, वृक्ष अधिकारी या िकसी वन अधिकारी को, जो संभागीय वन अधिकारी से िनम्र ौेणी का न हो, िकसी व्यक्ति से, िजसके िवरूद्ध विश्वास करने का कारण

है कि उसने किसी वृक्ष के संबंध में इस अधिनियम के अधीन अपराध किया है, उस अपराध के लिए जिसे ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाने का संदेह है, शमन के रूप में ऐसी धनराशि, जो कि विहित की जावे, ठीका कर देने के लिए अधिभुक्त कर सकेगी।

(2) यथास्थित, ऐसी राशियों या ऐसे मूल या दोनों का ऐसे अधिकारी को संदाय करने पर अभिगृहीत संपत्ति तथा अपराधी, यदि अभिरक्षा में है, निमुक्त किया जाएगा तथा ऐसे अपराधी या संपत्ति के विरुद्ध और कायवाही नहीं की जाएगी।

16. अधिनियम के उल्लंघन की रिपोर्ट कितनी व्यक्तियों द्वारा की जाएगी - ठीक वन अधिकारी, लोक सेवक या किसी व्यक्ति का यह कतर्क होगा कि धारा 3 के किसी उल्लंघन करने की तैयारी की, उसकी जानकारी की सूचना वृक्ष अधिकारी को तुरन्त दे।

17. धन के संदाय के आदेश का निष्पादन - कोई राशि, जिसका किसी व्यक्ति द्वारा संदाय किया जाना निदेशित किया गया है तत्समय प्राप्त किसी विधि के अधीन वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल भाव डाले बिना, वह उससे भू-राज:व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगी।

18. शांति - जो कोई इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों के उल्लंघन में किसी वृक्ष को गिराएगा या गिरावाएगा वह दोषिसिद्ध पर कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। जुर्माना यदि विहित समय-सीमा के भीतर जमा नहीं किया जाता है तो वह भू-राज:व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा।

19. इस अधिनियम के अधीन व्यक्तियों का लोक सेवक होना - इस अधिनियम के अधीन शिक्त का प्रयोग या किन्हीं कतर्कों या कृत्यों का निर्वहन करने वाले ठीक व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का संख्यांक 45) की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक है।

20. सद्भावपूर्वक की गई कारवाही का संरक्षण - इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए तात्पर्य कि किसी बात के लिए या किसी ऐसी बात के लिए जो की जाने से छोड़ दी गई हो, राज्य सरकार या किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अधीन शिक्त का प्रयोग, कतर्कों का पालन या कृत्यों का निर्वहन करने लिए सशक्त, हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कायवाही नहीं होगी।

21. वृक्षों के परिरक्षण के लिए राज्य सरकार की शक्ति - (1) राज्य सरकार, जन सामान्य के हित में, अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकेगी कि वृक्षों के किसी वर्ग को ऐसी कालाविधि तक काटकर नहीं गिराया जाएगा जैसी कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है।

(2) ऐसे वृक्षों का संबंध विहित रीति में विनियमित किया जाएगा।

22. वृक्ष अधिकारी को कितनी शक्तियां विनिर्दिष्ट करना - राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, वृक्ष अधिकारियों तथा अन्य अधिकारी को समत या निम्नलिखित में कोई शक्ति विनिर्दिष्ट कर सकेगी, अर्थात्:

(क) किसी भूमि पर प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण, सीमांकन करने तथा उसका मानचित्र (नक्शा) बनाने की शक्ति;

(ख) इस अधिनियम के अधीन अपराध की जांच करने तथा ऐसी जांच के अनुबन्ध में साक्षात् महण करने तथा अभिलिखित करने की शक्ति।

23. गिराई गई सामग्री का अभिवहन - भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का संख्यांक 16) की धारा 41 तथा 42 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन गिराए गए वृक्षों के अभिवहन पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

24. नियम बनाने की शक्ति - (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गए समत नियम विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे।